न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 238 / 2022(2022 / 795)

1. भैरूलाल पुत्र बरदा जाट निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. प्रज्जवल टांक पुत्र स्व. श्री पियुष टांक जाति कलाल
2. सुरेन्द्र जोशी पुत्र श्री शिवप्रसाद जोशी जाति ब्राहम्ण
   निवासीगण अजमेर रोड केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील प्रार्थी
2. श्री हेमन्त जैन – वकील अप्रार्थी

–:आदेशः–

दिनांक– 04.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है करबा केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1498–1750	2534	0.09	बारानी–1

उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जिसमें प्रार्थी का ही कब्जा काश्त स्वामित्व आधिपत्य चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का वास्ता सरोकार व हक अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत बद्ध है तथा नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम विरूद्ध जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। दिनांक 23.11.2022 को अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी पर आकर जे.सी.बी. लगाकर आराजी को खुर्द–बुर्द करने लगे तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर जबरन निर्माण कार्य कर आराजी से बेदखल कर कब्जा करने की एलानियां धमकियां देने लगे जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त, स्वामित्व आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने, प्रार्थी को जबरन बैदखल नही करने एवं आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने, खुर्द बुर्द नही करने के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहने के संबंध में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में नोट अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब व फर्द दस्तावेज पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। **जवाब निम्नानुसार हैः–**

प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 1 में वर्णित कथन जैसे वर्णित किये गये है अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 2 के कथन यहां तक स्वीकार है कि खसरा नमबर 2534 ग्राम केकड़ी में स्थित है। शेष कथन अस्वीकार है। मौके पर खसरा नम्बर 2534 आराजीयात के रूप में नही है, अपितु आराजी के मूल खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

रामदेव पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर द्वारा इस आराजी पर बी.एल. मार्केट कॉलोनी के नाम से कॉलोनी प्रस्तावित कर कुल 10 प्लाट काटे तथा तत्पश्चात जहां प्लाट संख्या 1 से 3 व उसके पीछे का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पीयूष टांक को दिनांक 06.11.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दिया वही प्लाट संख्या 4 व 5 को आराजी के मूल खातेदार रामदेव गुर्जर द्वारा लालचन्द माली को दिनांक 26.12.2013 को विक्रय कर दिया गया तथा लालचन्द माली द्वारा प्लाट संख्या 4 व 5 को अप्रार्थी 1 के पिता पीयूष टांक को विक्रय कर दिया इस प्रकार इस आराजी में बनायी गयी बी.एल. मार्केट कॉलोनी के प्लॉट संख्या 1 से 5 व उसके पीछे स्थित प्लॉट पर जिसका कि कुल क्षेत्रफल 3661 वर्गफीट व 720 वर्गफीट कुल 4381 वर्गफीट होता है पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजन काबिज चले आ रहे है तथा शेष अन्य प्लाट संख्या 6 लगायत 10 पर अन्य व्यक्ति जिन्हे कि प्लॉट विक्रय किये गये है काबिजं चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन जैसे वर्णित किये गये है कतई गलत व असत्य होने से ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई कब्जा, हक व अधिकारी खसरा नम्बर 2534 की भूमि पर नही है। प्रार्थी की चार दीवारी युक्त जायदाद जो कि टांक फार्म हाउस के नाम से उपयोग उपभोग में आ रही है पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित कथन कतई गलत व अस्वीकार है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा, हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 में वर्णित कथन कतई गलत व अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 6 के कथन जैसे वर्णित किये गये है कतई गलत, असत्य एवं मनगढंत है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सम्पत्ति पर वर्ष 2013 से ही बाउण्ड्री बनाकर उसका उपयोग, उपभोग कर रहे है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 7 के कथन जैसे वर्णित किये गये है गलत व असत्य होने से स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 8 के कथन पूर्णतया अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब के अतिरिक्त कथन में स्पष्ट किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा, हक व अधिकार नही है, वादग्रस्त आराजी बी.एल. मार्केट के नाम से कॉलोनी कटी हुई थी जिसके प्लॉट रामदेव गुर्जर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिये गये थे। प्रार्थी जो कि इस सम्पत्ति का पडौसी था, इन तथ्यों से पूर्णतया वाकिफ था, किन्तु उसके उपरान्त भी उसने रामदेव गुर्जर के साथ आपराधिक षडयंत्र रचते हुए धोखाधडी की नीयत से सम्पति को खरीद किया है तथा जिसके संबंध में प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुलिस थाना केकड़ी में दर्ज करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता तथा अन्य प्लॉट के क्रेतागण के पक्ष में रामदेव गुर्जर द्वारा करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को आक्षेपित किये बिना प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की सहसम्मान बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी